झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3487/2023

रोहित कुमार उर्फ रोहित मंडल, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता- सत्यनारायण मंडल, निवासी- ग्राम- लतासारे- डाकघर- मोरने, थाना- मोहनपुर, जिला- देवघर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... **विरोधी पक्षकार**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री निरंजन कुमार, एडवोकेट।

राज्य की ओर से : श्री वी. रॉय, विशेष लोक अभियोजक।

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति, श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका, धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, साइबर थाना केस संख्या 81/2022, समरूपी साइबर अपराध केस संख्या 07/2023, से संबंधित विविध आपराधिक आवेदन (एम.सी.ए.) संख्या 1325/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2023 को उपांतरित करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, देवघर ने 4,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी राशि प्रस्तुत करने के अधीन वाहन को छोड़ने का आदेश दिया है, (या) बजाय इसके, याचिकाकर्ता को दो ऋण शोधक्षम प्रतिभूओं के साथ उपरोक्त कथित राशि के क्षतिपूरित बांड दाखिल करने का निर्देश दिया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.07.2023 का आदेश असंगत (बेमेल) है क्योंकि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बैंक गारंटी किसके पक्ष में और कितनी अवधि के लिए प्रस्तुत की जानी है, इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि साइबर अपराध केस संख्या 07/2023, समरूपी साइबर थाना केस संख्या 81/2022 से संबंधित विविध आपराधिक आवेदन (एम.सी.ए) संख्या 1325/2023 में पारित दिनांक 27.07.2023 के आदेश को तदनुसार उपांतरित किया जाए।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने निष्पक्षता से प्रस्तुत किया कि साइबर अपराध केस संख्या 07/2023 समरूपी साइबर थाना केस संख्या 81/2022 के संबंध में पारित दिनांक 27.07.2023 के आदेश में यह ज़ाहिर नहीं करता है कि बैंक गारंटी किसके पक्ष में और कितनी अवधि के लिए निष्पादित की जानी है।

5. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, साइबर अपराध प्रकरण संख्या 07/2023 के समरूपी साइबर थाना प्रकरण संख्या 81/2022 के संबंध में दिनांक 27.07.2023 के आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि 4,00,000/- रुपये की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बजाए, वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या जे.एच. 15ए.डी 4527 है, याचिकाकर्ता के पक्ष में निम्नलिखित वचनबद्धता के साथ क्षतिपूरित बांड निष्पादित करने पर निर्मुक्त किया जाए:

   (i) याचिकाकर्ता 4,00,000/- रुपये का क्षतिपूरित बांड प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक राशि के बराबर की दो ऋण शोधनक्षम (सॉल्वेंट) प्रतिभू होंगी, जिसमें यह वचनबद्धता होगी कि याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर वाहन प्रस्तुत करेगा।

   (ii) याचिकाकर्ता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वाहन को न तो बेचेगा, ऩ ही गिरवी रखेगा न उसका स्वामित्व हस्तांतरित करेगा और न ही अपने अलावा किसी अन्य को उसे चलाने की अनुमति देगा।

   (iii) याचिकाकर्ता मामले के लंबित रहने के दौरान किसी तरह से वाहन की पहचान में बदलाव या छेड़छाड़ नहीं करेगा।

   (iv) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित कोई अन्य शर्त, यदि कोई हो।

6. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 4 मार्च, 2024

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।